International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

सत्यम शर्मा
शोधार्थी, शिक्षा संकाय, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

डॉ. एन.के. कौशिक
प्राचार्य, महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रातीबड़ भोपाल

सारांश : प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना है। इस हेतु न्यादर्श के रूप में 160 शिक्षकों {शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत 80 शिक्षक (40 पुरूष एवं 40 महिला) तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत 80 शिक्षक (40 पुरूष एवं 40 महिला)} का चयन साधारण यादृच्छिक विधि से करके उन पर स्वनिर्मित 'निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) अभिवृत्ति मापनी' का प्रशासन किया गया। प्राप्त परिणामों के अनुसार पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पुरूष शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया गया जबकि पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला/समग्र शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया। पूर्व माध्यमिक स्तर के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया।

मुख्य बिन्दू – पूर्व माध्यमिक स्तर, शहरी व ग्रामीण विद्यालय, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009), अभिवृत्ति

आज के विद्यार्थी ही हमारे देश का भविष्य है। अतः विद्यार्थियों के लिए हमें बेहतर शैक्षणिक योजना एवं उचित वातावरण हमें तैयार करना होगा। इसके लिए हमे विद्यालय के साथ–साथ परिवार एवं समाज का वातावरण विद्यार्थियों के अनुरूप ढालना होगा और हमें ऐसी गतिविधियों का संचालन करना होगा जो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालती है एवं उनकी उपलब्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि करती हों।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

वर्तमान में शिक्षा के प्रति व्यक्ति वर्ग पूर्णरूपेण से सजग हुआ है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने पाल्यों के लिए अच्छे विद्यालयों में प्रवेश के साथ–साथ अपना पारिवारिक वातावरण को सुखद एवं उपयुक्त बनाने हेतु क्रियाशील है जिससे उनका बालक उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सके। प्रत्येक गांव–शहर, गरीब–सम्पन्न, स्वस्थ–विकलांग सभी उत्तम शिक्षा प्राप्त कर के विकास में भागीदार बनने के लिए संकल्पित है। आज देश के हर कोने में उत्तम शिक्षा की माँग चरम सीमा पर है।

इस उत्तम शिक्षा की मांग को ध्यान में रखते हुए निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) हमारे देश में लागू किया गया। अब हमें अपनी शिक्षा की गति पर पुनः विचार करना होगा एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक–उपलब्धि पर प्रभाव डालने वाले कारकों का अध्ययन भी करना होगा।

राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण पक्ष में पूर्ण उत्तर दायित्व के लिए 'विद्यालय' का नाम ही आता है। विद्यालय को परिवार की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान कहा गया है क्योंकि विद्यालय में बहु संस्कृतियों का मेल होता है, और विभिन्न दृष्टिकोणों के बालक एक–दूसरे के सम्पर्क में आकर उन अच्छी आदत एवं संस्कारों का अधिगम करते हैं, जिन्हें परिवार की चार दीवारी के अन्दर सिखाना मुश्किल है। इस प्रकार विद्यालय परिवार व बाह्य वातावरण को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।

विद्यालय निःसन्देह एक विद्या मंदिर है अतः विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जिसमें विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की शारीरिक एवं मानसिक शक्ति पूर्ण रूपेण कार्य कर सकें। उत्तम विद्यालय का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि विद्यार्थी अधिकांश समय विद्यालय में ही व्यतीत करते हैं और विद्यालय का संवध बालक के सर्वागींर्ण विकास से है। किसी भी विद्यालय का उत्तम वातावरण विद्यार्थियों की उपलब्धि पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। विद्यार्थी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ विद्यालय में प्रवेश करते है, यदि उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति विद्यालयीन वातावरण द्वारा होती रहेगी तो उनकी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक क्षेत्र में उपलब्धियों में निरंतर वृद्धि होगी। हमारे देश के विद्यार्थियों को बेहतर एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए ही निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) लाया गया है। इस निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के क्रियान्वयन का मुख्य दायित्व शिक्षकों पर है।

अतः इसी कारण से शोधकर्ता ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति करने का निश्चय किया।

इस संदर्भ में अनेक शोध कार्य किए गये हैं जैसे **श्रीवास्तव, अनिल कुमार एवं बनबारी लाल (2013)** ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि निजी एवं राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया तथा राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति अभिवृत्ति, निजी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की तुलना में बेहतर पाई गयी। ग्रामीण एवं शहरो क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। पुरूष एवं महिला अध्यापकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। **वर्मा, ब्रजेश कुमार (2014)** ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया तथा बहुसंख्यक अभिभावकों में, अल्पसंख्यक अभिभावकों की तुलना में शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति बेहतर सकारात्मक अभिवृत्ति पाई गयी। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अल्पसंख्यक पुरूष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया तथा अल्पसंख्यक पुरूष अभिभावकों में, अल्पसंख्यक महिला अभिभावकों की तुलना में शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति बेहतर सकारात्मक अभिवृत्ति पाई गयी। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति बहुसंख्यक पुरूष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया तथा बहुसंख्यक पुरूष अभिभावकों में, बहुसंख्यक महिला अभिभावकों की तुलना में शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति बेहतर सकारात्मक अभिवृत्ति पाई गयी। **माकन्नवार, भारतेश पी. एवं जोशी, अरूण एच. (2018)** ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि अभिभावकों में शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति पाई गयी क्योंकि इसके द्वारा उनके बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही है। अधिकांशतः अभिभावकों में प्रवेश प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति पाई गयी परंतु एक बड़ी संख्या में अभिभावकों ने शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में कठिनाई महसूस की। बेलगााम जिले के अभिभावकों में शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति सर्वाधिक धनात्मक अभिवृत्ति पाई गयी जबकि विजयपुर जिले के अभिभावकों में इस अधिनियम के प्रति सबसे कम धनात्मक अभिवृत्ति पाई गयी।

उद्देश्य :–

1. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष शिक्षकों/महिला शिक्षकों/समग्र शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

2. शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना :–

1. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
2. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
3. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत समग्र शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
4. शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
5. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

न्यादर्श :–

इस शोध कार्य में न्यादर्श के चयन के लिए विदिशा जिले में स्थित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों (मिडिल स्कूल) का चयन करके इन विद्यालयों में कार्यरत 160 शिक्षकों {शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत 80 शिक्षक (40 पुरूष व 40 महिला) तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत 80 शिक्षक (40 पुरूष व 40 महिला)} का चयन साधारण यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया।

उपकरण :–

पूर्व माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करने के स्वनिर्मित 'निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) अभिवृत्ति मापनी' का निर्माण किया गया है, जो कि लिकर्ट की पंच बिन्दु मापनी पर आधारित है। इस मापनी में प्रारंभ में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति दर्शाने वाले 40 कथनों को रखा गया था परंतु मार्गदर्शक एवं अन्य विषय विशेषज्ञों की राय के उपरांत इसमें अंतिम रूप से 30 कथनों को शामिल किया गया, इस प्रकार यह प्रश्नावली पर्याप्त विषयवस्तु वैधता रखती है। इस प्रश्नावली की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए इसे 25 शिक्षकों पर प्रशासित किया गया तथा पुनः उन्हीं शिक्षकों के

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

समूह पर इसे 20 दिन बाद प्रशासित कर परीक्षण–पुर्नपरीक्षण विधि द्वारा इसकी विश्वसनीयता ज्ञात की गयी, जिसका विश्वसनीयता गुणांक 0.71 ज्ञात हुआ।

शोध विधि :–

सर्वप्रथम विदिशा जिले में स्थित में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों (मिडिल स्कूल) का चयन कर इन विद्यालयों में कार्यरत 160 शिक्षकों {शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत 80 शिक्षक (40 पुरूष व 40 महिला) तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत 80 शिक्षक (40 पुरूष व 40 महिला)} का चयन साधारण यादृच्दिक विधि द्वारा कर उन शिक्षकों पर 'निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) अभिवृत्ति मापनी' का प्रशासन किया गया। प्राप्तांकों के आधार पर मॉस्टर शीट तैयार की गई। मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात परीक्षण के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये।

परिणामों का विश्लेषण :–

परिकल्पना 01 :– शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 01

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति संबंधी तुलनात्मक परिणाम

कार्यक्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	'पी' मान
शहरी	40	119.75	14.33	1.27	> 0.05
ग्रामीण	40	115.48	15.61		

स्वतंत्रता के अंश – 78 0.05 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान – 1.99

उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति के मध्यमान क्रमशः 119.75 व 115.48 पाये गये जिनके मध्य 4.27 का अंतर है, यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं है क्याकि प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान 1.27 स्वतंत्रता के अंश 78 पर सार्थकता के 0.05 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान 1.99 की अपेक्षा कम है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

अतः उपरोक्त परिणामों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष शिक्षको की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया गया, अर्थात् पुरूष शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति पर कार्यक्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।

अतः उपरोक्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में पूर्वनिर्धारित परिकल्पना ''शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है'' स्वीकृत की जातो है।

परिकल्पना 02 :– शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 02

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति संबंधी तुलनात्मक परिणाम

कार्यक्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	'पी' मान
शहरी	40	111.38	12.87	2.09	< 0.05
ग्रामीण	40	105.23	13.45		

स्वतंत्रता के अंश – 78 0.05 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान – 1.99

उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति के मध्यमान क्रमशः 111.38 व 105.23 पाये गये जिनके मध्य 6.15 का अंतर है, यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक है क्योंकि प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान 2.09 स्वतंत्रता के अंश 78 पर सार्थकता के 0.05 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान 1.99 की अपेक्षा अधिक है।

अतः उपरोक्त परिणामों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत महिला

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों से बेहतर पाई गयी, अर्थात् महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति पर कार्यक्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) का सार्थक प्रभाव पाया गया।

अतः उपरोक्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में पूर्वनिर्धारित परिकल्पना ''शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है'' अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना 03 :– शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत समग्र शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 03

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत समग्र शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति संबंधी तुलनात्मक परिणाम

कार्यक्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	'पी' मान
शहरी	80	115.57	13.72	2.31	< 0.05
ग्रामीण	80	110.36	14.83		

स्वतंत्रता के अंश – 158 0.05 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान – 1.98

उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत समग्र शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति के मध्यमान क्रमशः 115.57 व 110.36 पाये गये जिनके मध्य 5.21 का अंतर है, यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक है क्योंकि प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान 2.31 स्वतंत्रता के अंश 158 पर सार्थकता के 0.05 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान 1.98 की अपेक्षा अधिक है।

अतः उपरोक्त परिणामों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत समग्र शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत समग्र शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

में कार्यरत समग्र शिक्षकों से बेहतर पाई गयी, अर्थात् समग्र शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति पर कार्यक्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) का सार्थक प्रभाव पाया गया।

अतः उपरोक्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में पूर्वनिर्धारित परिकल्पना ''शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत समग्र शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है'' अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना 04 :– शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 04

शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति संबंधी तुलनात्मक परिणाम

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	'पी' मान
पुरूष शिक्षक	40	119.75	14.33	2.75	< 0.01
महिला शिक्षक	40	111.38	12.87		

स्वतंत्रता के अंश – 78 0.01 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान – 2.64

उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति के मध्यमान क्रमशः 119.75 व 111.38 पाये गये जिनके मध्य 8.37 का अंतर है, यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक है क्योंकि प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान 2.75 स्वतंत्रता के अंश 78 पर सार्थकता के 0.01 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान 2.64 की अपेक्षा अधिक है।

अतः उपरोक्त परिणामों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया तथा पुरूष शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति महिला शिक्षकों से बेहतर पाई गयी, अर्थात् शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति पर लिंग का सार्थक प्रभाव पाया गया।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

अतः उपरोक्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में पूर्वनिर्धारित परिकल्पना ''शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है'' अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना 05 :– ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 05

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति संबंधी तुलनात्मक परिणाम

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	'पी' मान
पुरूष शिक्षक	40	115.48	15.61	3.15	< 0.01
महिला शिक्षक	40	105.23	13.45		

स्वतंत्रता के अंश – 78 0.01 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान – 2.64

उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति के मध्यमान क्रमशः 115.48 व 105.23 पाये गये जिनके मध्य 10.25 का अंतर है, यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक है क्योंकि प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान 3.15 स्वतंत्रता के अंश 78 पर सार्थकता के 0.01 स्तर के लिये निधारित न्यूनतम मान 2.64 की अपेक्षा अधिक है।

अतः उपरोक्त परिणामों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया तथा पुरूष शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति महिला शिक्षकों से बेहतर पाई गयी, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति पर लिंग का सार्थक प्रभाव पाया गया।

अतः उपरोक्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में पूर्वनिर्धारित परिकल्पना ''ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है'' अस्वीकृत की जाती है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

निष्कर्ष :–

1. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया गया, अर्थात् पुरूष शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति पर कार्यक्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया जबकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत महिला/समग्र शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत महिला/समग्र शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत महिला/समग्र शिक्षकों से बेहतर पाई गयी, अर्थात् महिला/समग्र शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति पर कार्यक्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) का सार्थक प्रभाव पाया गया।
2. शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया तथा पुरूष शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति महिला शिक्षकों से बेहतर पाई गयी, अर्थात् शहरी/गामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत पुरूष एवं महिला शिक्षकों की निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अभिवृत्ति पर लिंग का सार्थक प्रभाव पाया गया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भाई, योगेन्द्रजीत (1974) : **शैक्षिक एवं विद्यालय प्रशासन**, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, चतुर्थ संस्करण
2. भारद्वाज, दिनेशचंद्र : **विद्यालय प्रशासन एवं स्वास्थ्य शिक्षा**, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
3. भटनागर, सुरेश (1997) : **आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याए**, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ
4. चौबे, डॉ. सरयू प्रसाद (1958) : **जनतन्त्रात्मक विद्यालय संगठन**, भारत पब्लिकेशन आगरा
5. गुप्ता, मधु (2000) : **शिक्षा संस्कार एवं उपलब्धि**, क्लासिक पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली
6. जैन, बसन्तलाल, विजय सिंह (2004) : **भारत का विकास**, भारत भारती प्रकाशन मेरठ (पेज – 103 से 105)

7. कपिल, डॉ. एच.के. (1995) : **अनुसंधान विधियां** , हरिप्रसाद भार्गव पुस्तक प्रकाशक कचहरी घाट, आगरा, अष्टम संस्करण

8. माथुर, एस.एस. : **शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षा** , विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, नवीनतम संस्करण ।

9. प्रसाद, केशव : **विद्यालय व्यवस्था**, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, द्वितीय संस्करण

10. सुखिया, पी.एस. (1997) : **विद्यालय प्रशासन संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा**, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा – 2 (पेज 243 से 244)

11. शर्मा, आर.ए. (2001) : **विद्यालय संगठन तथा शिक्षा प्रशासन**, आर. लाल बुक डिपो मेरठ, पृष्ठ 350

12. टण्डन एवं त्रिपाठी, (1960) : **विद्यालय संगठन के सिद्धांत**, किताब महल इलाहाबाद।

13. Asthana , Bipin (2007) : **Measurement and Evaluation in Psychology and Education,** Vinod Pushtak Mandir, Agra, First Edition

14. Chandra Soti Shivendra and Sharma Rajendra K. (2004) : **Research in Education, Atlantic Publishers and Distributors,** New Delhi, First Edition.

Related Research :

1. **श्रीवास्तव, अनिल कुमार एवं बनबारी लाल (2013)** ''निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन'', *International Journal of Creative Research Thoughts, Vol 1, Issue 12, December 2013, Page No. 1-6*

2. **वर्मा, ब्रजेश कुमार (2014)** ''निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के प्रति अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन'', *भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष 34, अंक 4, अप्रैल 2014, पेज नम्बर 5–12*

3. **Makannavar, Bhartesh P. and Joshi, Arun H. (2018)** "A Study of Attitude of Parents and Students Towards Right To Education Act in Belgaum District", *International Journal of Advanced Research in Education and Technology, Vol 5, Issue 1, January-March 2018, Page No. 16-19*